निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1941 (श0)

(सं0 पटना 806) पटना, बृहस्पतिवार, 11 जुलाई 2019

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
11 जुलाई 2019

एस0 ओ0 323 दिनांक 11 जुलाई 2019—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार पेशा कर (संशोधन) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2.) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3.) यह राजपत्र एवं इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. **बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 में संशोधन।**–बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, :

"3. **निबंधन**–

(1) धारा 5 के अधीन निबंधन योग्य हरेक नियोजक, ऐसे अंचल प्रभारी को विहित प्रपत्र पी०टी०-I में निबंधन हेतु आवेदन दाखिल करेगा, जिनके क्षेत्राधिकार में नियोजक का कार्यालय अवस्थित हो। ऐसा आवेदन, नियोजक के निबंधन योग्य होने के 7(सात) दिनों के भीतर, वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेब–साईट पर इलेक्ट्रोनिक रीति से दाखिल किया जाएगा और इसके वाद विनिर्दिष्ट रीति से उक्त आवेदन पर प्रक्रिया की जाएगी :

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से व्यक्तियों को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा ऐसा आवेदन नियमावली के प्रवृत्त होने के 30(तीस) दिनों की कालवधि के भीतर दाखिल किया जाएगा।

(2)(क) प्रत्येक नियोजक, वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट पर प्रपत्र पी०टी०-I में अपना स्थायी लेखा संख्या, मोबाईल नंबर, ई–मेल पता और प्रपत्र पी0टी0– I में दिए जाने वाले अन्य सूचनाओं को घोषित करेगा।

(ख) वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब–साईट द्वारा केन्दीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के डाटाबेस से स्थायी लेखा संख्या का ऑन–लाईन विधिमान्य किया जाएगा।

(ग) मोबाईल नंबर का सत्यापन उस मोबाईल नंबर पर भेजे गए वन–टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) ई–मेल पता का सत्यापन उस ई–मेल पता पर अलग से भेजे गए वन–टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(ड.) स्थायी लेखा संख्या, मोबाईल नंबर और ई–मेल पता के सफल सत्यापनोपरान्त, आवेदक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाइट पर प्रपत्र पी0टी0–I में आवेदन दाखिल करेगा।

(च) खंड (ड.) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से एक अभिस्वीकृति प्रेषित की जाएगी।

(3) (क) आवेदन संबंधित अंचल के कर निर्धारी पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा, जो यह सत्यापित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे हुए हैं, आवेदन दाखिल होने से एक कार्यदिवस अवधि के भीतर प्रपत्र पी०टी०-II में निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाईट पर, आवेदक को, यह निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जायेगा।

(ख) आवेदन दाखिल होने से एक कार्य दिवस की अवधि के भीतर यदि अंचल के कर निर्धारी पदाधिकारी कोई कार्रवाई करने में विफल होते हैं, तो यह समझा जाएगा कि निबंधन हेतु दाखिल आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाईट पर, आवेदक को, प्रपत्र पी०टी०-II में निबंधन प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जायेगा।

(ग) उपनियम (3) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र पर नियोजक को आवंटित निबंधन संख्या अंकित होगी और यह निबंधन संख्या, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन नियोजक को आवंटित कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या (TAN) के पूर्व अंक ''10'' एवं अंत में 'आर' जोड़ी गई संख्या होगी :

परन्तु नियोजक को, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या (TAN) आवंटित नहीं होने की दशा में, निबंधन संख्या आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन उस नियोजक को आवंटित स्थायी लेखा संख्या (PAN) के पूर्व अंक ''10'' और अंत में 'आर' जोड़ी गई संख्या होगी।

(4) निबंधन प्रमाण–पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर होगा और उसे वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया जाऐगा।

स्पष्टीकरण :– इन उप–नियमों के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्ति 'नियोजक' से अभिप्रेत है यथास्थिति, ऐसी कम्पनी, फर्म, सोसाईटी, व्यक्तियों का समूह, अविभाज्य हिन्दु परिवार, निगमित निकाय, पर्षद, प्राधिकार, उपक्रम अथवा निगम, जिसने, कर भुगतान के दायी व्यक्तियों को नियुक्त किया हो।

3. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 4 में संशोधन– बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के नियम 4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा,।

'' नामांकन–

(1) ऐसा प्रत्येक कर निर्धारिती जिसपर धारा–5 का द्वितीय परन्तुक तथा धारा 6 की उप–धारा (2) लागू होती हो, अधिनियम के अधीन नामांकन हेतु उस अंचल के प्रभारी को प्रपत्र–PT-Iक में आवेदन करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में कर निर्धारिती निवास करता हो। ऐसा आवेदन अधिनियम के अधीन निर्धारिती की कर देयता के सात दिनों के भीतर वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेब साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से दाखिल किया जायेगा एवं उक्त आवेदन इसके बाद विनिर्दिष्ट रीति से परिष्कृत किया जायेगा :

परन्तु अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व से किसी पेशा, व्यापार, आजीविका अथवा नियोजन में लगे हुए किसी कर निर्धारिती द्वारा ऐसा आवेदन अधिनियम के प्रवृत्त होने के नब्बे दिनों के भीतर दिया जायेगा।

(2)(क) प्रत्येक व्यक्ति जो इस नियमावली के अधीन नामांकन हेतु दायी है, वाणिज्य–कर विभाग के वेबसाईट पर प्रपत्र पी०टी०-Iक में अपना स्थायी लेखा संख्या, मोबाईल नंबर, ई–मेल पता और प्रपत्र पी0टी0– I में दिए जाने वाले अन्य सूचनाओं को घोषित करेगा।

(ख) वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब–साईट द्वारा केन्दीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के डाटाबेस से स्थायी लेखा संख्या का ऑन–लाईन विधिमान्य किया जाएगा।

(ग) मोबाईल नंबर का सत्यापन उस मोबाईल नंबर पर भेजे गए वन–टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) ई–मेल पता का सत्यापन उस ई–मेल पता पर अलग से भेजे गए वन–टाईम पासवर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

(ड.) स्थायी लेखा संख्या, मोबाईल नंबर और ई–मेल पता के सफल सत्यापंनोपरान्त, आवेदक इलेक्ट्रोनिक माध्यम से वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाइट पर प्रपत्र पी0टी0–Iक में आवेदन दाखिल करेगा।

(च) खंड (ड.) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से एक अभिस्वीकृति प्रेषित की जाएगी।

(3)(क) आवेदन संबंधित अंचल के कर निर्धारी पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा, जो यह सत्यापित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे हुए हैं, आवेदन दाखिल होने से एक कार्यदिवस अवधि के भीतर प्रपत्र पी०टी०-IIक में नामांकन प्रमाण पत्र निर्गत करेगा और वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाईट पर, आवेदक को, यह नामांकन प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जायेगा।

(ख) आवेदन दाखिल होने से एक कार्य दिवस की अवधि के भीतर यदि अंचल के कर निर्धारी पदाधिकारी कोई कार्रवाई करने में विफल होते हैं, तो यह समझा जाएगा कि निबंधन हेतु दाखिल आवेदन अनुमोदित कर दिया गया है और वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेबसाईट पर, आवेदक को, प्रपत्र पी०टी०-IIक में नामांकन प्रमाण पत्र उपलब्ध किया जायेगा।

(ग) उपनियम (3) के खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र पर कर निर्धारिती को आवंटित नामांकन संख्या अंकित होगी और यह नामांकन संख्या, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन उस व्यक्ति को आवंटित स्थायी लेखा संख्या (PAN) के पूर्व अंक ''10'' एवं अंत में 'E' जोड़ी गई संख्या होगी :

4. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के प्रपत्र पी०टी०-I को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''फारम – पी०टी०-I

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

(देखें नियम 3)

वाणिज्य–कर..का कार्यालय...अंचल

सेवा में,

....

....

मैं ....(पूरा नाम), पिता...(पूरा नाम) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गमन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करता हूँ :–

(1)	* नियोजक / कटौतीकर्त्ता का स्थायी लेखा सं0–	
(2)	* पैन के अनुसार नाम	
(3)	* ई–मेल पता	
(4)	* मोबाईल नंबर	
(5)	नियोजक / कटौतीकर्त्ता का नाम	
(6)	कर–कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या (TAN)	
(7)	टैन के अनुसार नाम	
(8)	टैन की कॉपी को अपलोड करें	

(9)	पता (मकान सं0 / दुकान सं0 / मोहल्ला / पोस्ट ऑफिस / थाना / प्रखंड / * जिला इत्यादि का ब्योरा दें–	
(10)	अंचल का नाम जिसके क्षेत्राधिकार में नियोजक / कटौतीकर्त्ता का कार्यालय अवस्थित है।	
(11)	(GSTIN) (यदि कोई हो)	
(12)	कार्यालय का नाम	
(13)	कर दायित्व तिथि	

मै एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टयाँ मेरी जानकारी में सही और पूर्ण है।

आवेदक का नाम ....
हैसियत ....

5. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के प्रपत्र पी०टी०-Iक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

''फारम – पी०टी०-Iक
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 एवं 6(2) के अधीन नामांकन हेतु आवेदन प्रपत्र

(देखें नियम 4)

वाणिज्य–कर...का कार्यालय...अंचल
सेवा में,

....
....

मैं ....(पूरा नाम), पिता...(पूरा नाम) एतद् द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 एवं धारा 6(2) के अधीन नामांकन प्रमाण–पत्र देने हेतु आवेदन और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशिष्टियाँ देता हूँ :–

(1)	* आवेदक का स्थायी लेखा सं0	
(2)	* पैन के अनुसार नाम	
(3)	* आवेदक का ई–मेल पता	
(4)	* मोबाईल नंबर	
(5)	* फर्म का नाम (यदि कोई हो)	
(6)	पता (मकान सं0 / दुकान सं0 / मोहल्ला / पोस्ट ऑफिस / थाना / प्रखंड / * जिला इत्यादि का ब्योरा दें–	
(7)	अंचल का नाम जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का पता अवस्थित है।	
(8)	(GSTIN) (यदि कोई हो)	
(9)	कर दायित्व की तिथि	
(10)	पेशा, व्यापार, आजीविका या नियोजन की प्रकृति	

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टयाँ मेरी जानकारी में सही और पूर्ण है।

आवेदक का नाम ....
हैसियत ....

6. बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के प्रपत्र पी०टी०-x को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

मूल प्रति		**द्वितीय प्रति**	
(कोषागार के द्वारा संबंधित अंचल को भेजा जायेगा)		(संबंधित कोषागार में रखी जायेगी)	
फारम PT-X		**फारम PT-X**	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान	
[देखें नियम–7]		[देखें नियम–7]	
क्रमांक संख्या..................................		क्रमांक संख्या..................................	
कोषागार..		कोषागार..	
बैंक का नाम		बैंक का नाम	
ब्राँच का नाम		ब्राँच का नाम	
ब्राँच कोड		ब्राँच कोड	
मुख्य शीर्ष –0028 उप–मुख्य शीर्ष–00		मुख्य शीर्ष –0028 उप–मुख्य शीर्ष–00	
लघु शीर्ष – 107 उप–शीर्ष– 0003		लघु शीर्ष – 107 उप–शीर्ष– 0003	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद	
<u>PAN/TAN-</u>		<u>PAN/TAN-</u>	
GSTIN-		GSTIN-	
चालान का रकम जो बैंक को दिया गया		चालान का रकम जो बैंक को दिया गया	
समाप्ति वर्ष .... के लिए		समाप्ति वर्ष .... के लिए	
अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है		अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है	
जिनके द्वारा निविदत्त किया गया		जिनके द्वारा निविदत्त किया गया	
पेशाकर निबंधन/नामांकन सं०		पेशाकर निबंधन/नामांकन सं०	
<u>खाता पर रकम</u>		**<u>खाता पर रकम</u>**	
स्वीकृत कर		स्वीकृत कर	
ब्याज		ब्याज	
शास्ति		शास्ति	
फीस		फीस	
अपील फीस		अपील फीस	
विविध		विविध	
कुल		कुल	
रूपये (शब्दों में)		रूपये (शब्दों में)	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
कोषागार में उपयोग के लिए		कोषागार में उपयोग के लिए	
<u>मैनें प्राप्त किया रू० .... (रू०....................................)</u>		**<u>मैनें प्राप्त किया रू० .... (रू०....................................)</u>**	
2. प्रविष्टि की तिथि		2. प्रविष्टि की तिथि	
चेक नम्बर		चेक नम्बर	
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी	कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी
	अभिकर्त्ता/बैंक प्रबंधक		अभिकर्त्ता/बैंक प्रबंधक

तृतीय प्रति		**चतुर्थ प्रति**	
(व्यवसायी/जमाकर्त्ता को उनके उपयोग हेतु लौटायें)		(व्यवसायी/जमाकर्त्ता को समुचित वाणिज्य–कर प्राधिकारी को भेजे जाने हेतु लौटायें)	
फारम PT-X		**फारम PT-X**	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान	
[देखें नियम–7]		[देखें नियम–7]	
क्रमांक संख्या..................................		क्रमांक संख्या..................................	
कोषागार...		कोषागार...	
बैंक का नाम		बैंक का नाम	
ब्राँच का नाम		ब्राँच का नाम	
ब्राँच कोड		ब्राँच कोड	
मुख्य शीर्ष –0028 उप–मुख्य शीर्ष–00		मुख्य शीर्ष –0028 उप–मुख्य शीर्ष–00	
लघु शीर्ष – 107 उप–शीर्ष– 0003		लघु शीर्ष – 107 उप–शीर्ष– 0003	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद	
PAN/TAN-		PAN/TAN-	
GSTIN-		GSTIN-	
चालान का रकम जो बैंक को दिया गया		चालान का रकम जो बैंक को दिया गया	
समाप्ति वर्ष .... के लिए		समाप्ति वर्ष .... के लिए	
अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है		अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है	
जिनके द्वारा निविदत्त किया गया		जिनके द्वारा निविदत्त किया गया	
पेशाकर निबंधन/नामांकन सं०		पेशाकर निबंधन/नामांकन सं०	
खाता पर रकम		**खाता पर रकम**	
स्वीकृत कर		स्वीकृत कर	
ब्याज		ब्याज	
शास्ति		शास्ति	
फीस		फीस	
अपील फीस		अपील फीस	
विविध		विविध	
कुल		कुल	
रूपये (शब्दों में)		रूपये (शब्दों में)	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
कोषागार में उपयोग के लिए		कोषागार में उपयोग के लिए	
मैनें प्राप्त किया रू० .... **(रू०...................................)**		**मैनें प्राप्त किया रू० ....** **(रू०...................................)**	
2. प्रविष्टि की तिथि		2. प्रविष्टि की तिथि	
चेक नम्बर		चेक नम्बर	
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी	कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी
	अभिकर्त्ता/बैंक प्रबंधक		अभिकर्त्ता/बैंक प्रबंधक

अंचल के लिए	
(बैंक के द्वारा संबंधित अंचल को भेजा जायेगा)	
फारम PT-X	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान	
[देखें नियम–7]	
क्रमांक संख्या...................................	
कोषागार..	
बैंक का नाम	
ब्राँच का नाम	
ब्राँच कोड	
मुख्य शीर्ष –0028 उप–मुख्य शीर्ष–00	
लघु शीर्ष – 107 उप–शीर्ष– 0003	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद	
PAN/TAN-	
GSTIN-	
चालान का रकम जो बैंक को दिया गया	
समाप्ति वर्ष .... के लिए	
अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है	
जिनके द्वारा निविदत्त किया गया	
पेशाकर निबंधन/नामांकन सं०	
खाता पर रकम	
स्वीकृत कर	
ब्याज	
शास्ति	
फीस	
अपील फीस	
विविध	
कुल	
रूपये (शब्दों में)	
हस्ताक्षर	
कोषागार में उपयोग के लिए	
मैनें प्राप्त किया रू० .... (रू०.....................................)	
2. प्रविष्टि की तिथि	
चेक नम्बर	
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी
	अभिकर्त्ता/बैंक प्रबंधक

[(सं0स0 बिक्री–कर/संशोधन–10/2015–1964)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

11 जुलाई 2019

एस0ओ0 323, दिनांक 11 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं0स0 बिक्री–कर/संशोधन–10/2015–1964)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

11th July 2019

S.O- 323, dated 11th July 2019—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of The Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employment Act, 2011 (Bihar Act 10, 2011) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Professional Tax Rules, 2011:-

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) These Rules may be called the Professional Tax (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall extend to whole state of Bihar.

(3) It shall come into force from date of its publication in the official gazette.

2. *Amendment in Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 – Rule 3 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011 shall be substituted by the following :-*

"Registration -

(1) Every employer required to be registered by Section 5 shall apply, in Form PT-I, for registration under the Act to the Incharge of the circle within whose jurisdiction the office of the employer is situated. Such application shall be submitted within seven days of the employer being required to be registered and shall be filed in electronic manner on the official web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified:

Provided that such an application for registration by an employer who has employed persons before the coming into force of these Rules shall be made within a period of thirty days of the coming into force of these Rules.

(2) (a) Every employer shall declare his Permanent Account Number, name as per PAN, mobile number, email address and any other information as required in FORM PT-I on the official website of the Commercial Taxes Department.

(b) The Permanent Account Number shall be validated online by the official website of the Commercial Taxes Department from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.

(c) The mobile number shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number, and

(d) The email address declared shall be verified through a separate one time password sent to the said email address.

(e) On successful verification of PAN, mobile number and email address, the applicant shall electronically submit an application in FORM PT-I alongwith documents specified at the official websites of Commercial Taxes Department.

(f) On successful submission of registration application under clause (e), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant.

(3) (a) The application shall be forwarded to the Tax Assessing Authority of the concerned circle, who after verifying that all the column of the application have been properly filled in, shall, within a period of one working day from the date of submission of the application, approve the grant of registration in Form PT-II and a certificate of registration shall be made available to the applicant on the official website of the Commercial Taxes Department.

(b) If the Tax Assessing Authority of the circle fails to take any action, within a period of one working day from the date of submission of the application, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved and a certificate of registration in Form PT-II shall be made available to the applicant on the official website of the Commercial Taxes Department.

(c) The certificate specified in clause (a) and (b) of sub-rule (3) shall bear the registration number allotted to the employer and the said registration number shall be the 'Tax Deduction and Collection Account Number,' allotted to the employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10" and suffixed by the letter 'R'.

Provided that in case an employer has not been allotted a Tax Deduction and Collection Account Number under the Income Tax Act, 1961, the registration number shall be the Permanent Account Number, allotted to such employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10" and suffixed by the letter 'R'.

(4) The certificate of registration shall be digitally signed and made available on the official website of the Commercial Taxes Department.

Explanation.- For the purposes of these sub-rules, the expression 'employer' shall mean the Company, firm, society, association of person, undivided Hindu family, body corporate, board, Authority, Undertaking or Corporation, as the case may be, which has employed persons liable to pay tax under the Act.

3. *Amendment in Rule 4 of the Bihar Professional Tax Rules, 2011.*—Every assessee to whom the second proviso to Section 5 and to whom sub-section (2) of section 6 apply, shall apply, in Form PT-IA, for enrolment under the Act to the Incharge of the Circle within whose jurisdiction the assessee resides. Such application shall be submitted within seven days of the assessee being liable to pay tax under the Act and shall be filed in electronic manner on the official web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified:

Provided that such an application for enrolment by an assessee engaged in any profession, trade, calling or employment before the coming into force of these Rules shall be made within a period of thirty days of the coming into force of these Rules.

(2) (a) Every person who is liable to be enrolled under these Rules, shall declare his Permanent Account Number, name as per PAN, mobile number, email address and any other information as required in FORM PT-IA on the official website of the Commercial Taxes Department.

(b) The Permanent Account Number shall be validated online by the official website of the Commercial Taxes Department from the database maintained by the Central Board of Direct Taxes.

(c) The mobile number declared by the applicant shall be verified through a one-time password sent to the said mobile number, and

(d) The email address declared by the applicant shall be verified through a separate one time password sent to the said email address.

(e) On successful verification of PAN, mobile number and email address, the applicant shall electronically submit an application in FORM PT-IA at the official websites of Commercial Taxes Department.

(f) On successful submission of registration application under clause (e), an acknowledgement shall be issued electronically to the applicant.

(3) (a) The application shall be forwarded to the Tax Assessing Authority of the concerned circle, who after verifying that all the column of the application have been properly filled in, shall, within a period of one working day from the date of submission of the application, approve the grant of registration in Form PT-IIA and a certificate of enrolment shall be made available to the applicant on the official website of the Commercial Taxes Department.

(b) If the Tax Assessing Authority of the circle fails to take any action, within a period of one working day from the date of submission of the application, the application for grant of enrolment shall be deemed to have been approved and a certificate of enrolment in Form PT-IIA shall be made available to the applicant on the official website of the Commercial Taxes Department.

(c) The certificate specified in clause (a) and (b) of sub-rule (3) shall bear the enrolment number allotted to the assessee and the said enrolment number shall be the 'Permanent Account Number,' allotted to the assessee under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10" and suffixed by the letter 'E'.

4. Form PT-I of Bihar Profession Tax Rules, 2011 shall be substituted by the following:-

"Form PT- I

Application for registration under Section 5 of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011
(*See Rule 3*)

I ……………………………………(full Name), Son of ……………………….(full Name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish following particular for that purpose-

(1)	* PAN of the Employer/Deductor	
(2)	* Name as per PAN	
(3)	* Email ID	
(4)	* Mobile Number :	
(5)	Name of the employer/Deductor : -	
(6)	TAN	
(7)	Name as per TAN	

(8)	Upload copy of TAN	
(9)	Address (Give details of house number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/Block/ *Town/*City/*District.) :-	
(10)	Name of the circle, within whose jurisdiction the office of the employer/Deductor is situated	
(11)	GSTIN (if any) :-	
(12)	Office Name :-	
(13)	Date of liability :-	

I do hereby declare that the particular furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Name of the Applicant ……………………..………

Status (Drop down)………………………………

5. ***Form PT-IA of Bihar Profession Tax Rules, 2011 shall be substituted by the following*:-**

"Form PT- IA

Application for enrollment under second proviso to Section 5 and Section 6(2) of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(*See Rule 4*)

I ……………………………………(full Name), Son of ……………………….(full Name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the Bihar Tax on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish following particular for that purpose-

(1)	* PAN of the person filing application	
(2)	* Name as per PAN	
(3)	* Email ID of the applicant :	
(4)	* Mobile Number :	
(5)	Name of the Firm (if any) : -	
(6)	Address (Give details of house number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/Block/ *Town/*City/*District) :-	
(7)	Name of the circle, within whose jurisdiction the address of the applicant is situated	
(8)	GSTIN (if any) :-	
(9)	Date of liability :-	
(10)	Nature of Profession, Trade, Calling or Employment-	

I do hereby declare that the particular furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Name of the Applicant ……………………..………

Status (Drop down)………………………………

6. Form PT-X of Bihar Profession Tax Rules, 2011 shall be substituted by the following:-

ORIGINAL		DUPLICATE	
To be sent by the Treasury to the concerned circle		**To be retained in the concerned Treasury**	
Form PT-X		**Form PT-X**	
Challan under the Bihar on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011		**Challan under the Bihar on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011**	
[See Rule7]		**[See Rule7]**	
Serial Number ………………		Serial Number ………………	
Treasury……………………..		Treasury……………………..	
Name of the Bank …………..		Name of the Bank …………..	
Branch Code ………………..		Branch Code ………………..	
Major head – 0028 Sub Major Head- 00		Major head – 0028 Sub Major Head- 00	
Minor Head- 107 Sub Head -0003		Minor Head- 107 Sub Head -003	
Budget Code- R0028001070003		Budget Code- R0028001070003	
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011		Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	
PAN/TAN-		PAN/TAN-	
GSTIN		GSTIN	
Challan of amount paid to Bank		Challan of amount paid to Bank	
For the year ending………………….		For the year ending………………….	
Name of the Circle to which the payment relates		Name of the Circle to which the payment relates	
By whom Tendered:		By whom Tendered:	
P. Tax registration/enrollment no.		P. Tax registration/enrollment no.	
Payment on account of :	**Amount**	**Payment on account of :**	**Amount**
Admitted Tax		Admitted Tax	
Interest		Interest	
Penalty		Penalty	
Fees		Fees	
Appeal Fee		Appeal Fee	
Miscellaneous		Miscellaneous	
Total		Total	
Rupees (in Words)………………		Rupees (in Words)………………	
Signature of		Signature of	
For use in the Treasury		**For use in the Treasury**	
I Receive Payment of Rs……………..(Rupees)		I Receive Payment of Rs…………………..(Rupees)	
2. Date of entry		2. Date of entry	
Cheque No.		Cheque No.	
Treasury Accountant	**Treasury Officer**	**Treasury Accountant**	**Treasury Officer**
	Agent/Manager of Bank		**Agent/Manager of Bank**

TRIPLICATE		QUADRIPLICATE	
To be returned to the dealer/depositor for his own use		**To be returned to the dealer/depositor for being forwarded to the appropriate Commercial Taxes authority**	
Form PT-X		**Form PT-X**	
Challan under the Bihar on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011		**Challan under the Bihar on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011**	
[See Rule7]		**[See Rule7]**	
Serial Number ………………		Serial Number ………………	
Treasury……………………..		Treasury……………………..	
Name of the Bank …………..		Name of the Bank …………..	
Branch Code ………………..		Branch Code ………………..	
Major head – 0028 Sub Major Head- 00		Major head – 0028 Sub Major Head- 00	
Minor Head- 107 Sub Head -0003		Minor Head- 107 Sub Head -003	
Budget Code- R0028001070003		Budget Code- R0028001070003	
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011		Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	
PAN/TAN-		PAN/TAN-	
GSTIN		GSTIN	
Challan of amount paid to Bank		Challan of amount paid to Bank	
For the year ending………………….		For the year ending………………….	
Name of the Circle to which the payment relates		Name of the Circle to which the payment relates	
By whom Tendered:		By whom Tendered:	
P. Tax registration/enrollment no.		P. Tax registration/enrollment no.	
Payment on account of :	**Amount**	**Payment on account of :**	**Amount**
Admitted Tax		Admitted Tax	
Interest		Interest	
Penalty		Penalty	
Fees		Fees	
Appeal Fee		Appeal Fee	
Miscellaneous		Miscellaneous	
Total		Total	
Rupees (in Words)………………		Rupees (in Words)………………	
Signature of		Signature of	
For use in the Treasury		**For use in the Treasury**	
I Receive Payment of Rs…………………..(Rupees)		I Receive Payment of Rs……………….…….(Rupees)	
2. Date of entry		2. Date of entry	
Cheque No.		Cheque No.	
Treasury Accountant	**Treasury Officer**	**Treasury Accountant**	**Treasury Officer**
	Agent/Manager of Bank		**Agent/Manager of Bank**

FOR CIRCLE	
To be sent by the Bank to the concerned circle	
Form PT-X	
Challan under the Bihar on Profession, Trades, Callings and Employments Act, 2011	
[See Rule7]	
Serial Number ………………	
Treasury……………………..	
Name of the Bank …………..	
Branch Code ………………..	
Major head – 0028 Sub Major Head- 00	
Minor Head- 107 Sub Head -0003	
Budget Code- R0028001070003	
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	
PAN/TAN-	
GSTIN-	
Challan of amount paid to Bank	
For the year ending………………….	
Name of the Circle to which the payment relates	
By whom Tendered:	
P. Tax registration/enrollment no.	
Payment on account of :	**Amount**
Admitted Tax	
Interest	
Penalty	
Fees	
Appeal Fee	
Miscellaneous	
Total	
Rupees (in Words)………………	
Signature of	

For use in the Treasury		
I Receive Payment of Rs…………………………….. (Rupees)		
2. Date of entry		
Cheque No.		
Treasury	**Accountant**	**Treasury Officer**
		Agent/Manager of Bank

[(File No. Bikri-kar/Sansodhan-10/2015-1964)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Secretary-Cum-Commissioner State Tax.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 806 -571+10 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in